फा.सं/ 12(9)/ 2020-पी&पीडबल्यू(सी)-6450

भारत सरकार

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-एच)

8वां तल, जनपथ भवन,

जनपथ, नई दिल्ली,

दिनांक 23 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के अनुसार, नियमित पेंशन प्राधिकृत करते वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की आशंका होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन/ उपदान मंजूर किया जाना अपेक्षित होता है। **केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 में यह उपबंध है कि ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान(अनंतिम पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान सहित) मंजूर नहीं किया गया है या विलंबित है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है तो पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के बकायों पर, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर और रीति से ब्याज संदत्त किया जाएगा।** पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और जहां यह पाया जाए कि पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो प्रभावित पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी को ब्याज का संदाय करना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में, उन सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा जो प्रशासनिक चूक के कारण विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

2. यद्यपि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अनुसार, अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा, नियम आगे यह भी प्रावधान करता है कि उक्त छह मास की अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उक्त छह अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा। अतः, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां छः मास की अवधि की समाप्ति तक, लेखा अधिकारी द्वारा किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नियमित पेंशन प्राधिकृत न की गई हो।

जारी.....2

4. सभी मंत्रालयों/ विभागों और उनके लेखा अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करें। इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि उक्त छः मास की अवधि की समाप्ति तक यदि किसी कारणवश लेखा अधिकारी द्वारा नियमित पेंशन के लिए पीपीओ जारी नहीं किया जा सका तो पेंशन को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाए।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23310108

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।
2. विभाग से सभी अधिकारी/ डेस्क।
3. एनआईसी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि:

महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।